मावा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर मावा व दूध के नमूने लिए

500 किलोग्राम मिलावटी दूध और मावे को मौके पर नष्ट करवाया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा विशेष अभियान चलते हुए शुक्रवार को चौमू के पास चीथवाडी में विभिन्न मावा निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चल रही संदिग्ध मिलावटी मावे की शिकायतों के मद्देनजर पुलिस विभाग एवं आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा की अलग-अलग टीमों का संयुक्त जांच दल का गठित किया गया। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह, संयुक्त आयुक्त डॉ विजय शर्मा एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ रवि शेखावत के निर्देशन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से चीथवाडी गांव में मध्यरात्रि लगभग 2 बजे पहुंचकर 15 मावा निर्माण ईकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 20 मावा एवं दूध के नमूने लिये गये। 2 निर्माण ईकाइयों पर मावा में मिलावट करने वाली स्कीम मिल्क पाउडर, वनस्पति एवं इनसे बने लगभग 500 किलाग्राम मिलावटी दूध एवं मावे को मौके पर नष्ट करवाया गया।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि फर्म मावा निर्माता मदनलाल शर्मा द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल, दूध आदि से मिलावटी मावा तैयार होना पाया जाने पर लगभग 50 किलो मावा 90 लीटर क्रीम

■ **खाद्य सुरक्षा दल की चौमू के चीथवाड़ी में कार्रवाइ**

निकला हुआ/कम फेट का दूध, 35 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर को मौके पर नष्ट कराया गया। इसी तरह फर्म फर्म लाला हरि एल.एच.मावा पनीर, द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति, दूध आदि से मिलावटी मावा तैयार होना पाया जाने पर लगभग 100 किलो मावा 125 लीटर घोल (क्रीम निकला हुआ/कम फेट का दूध व मिल्क पाउडर) 75 किलाग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर व 2 किलो वनस्पति को मौके पर नष्ट कराया गया।

डॉ. टी.शुभमंगला ने बताया कि फर्म कमल सेठू, फर्म मुकेश मावा पनीर भण्डार, फर्म बाबुलाल मावा पनीर उद्योग, फर्म आर.एल.मिल्क प्रॉडक्ट के निरीक्षण में साफ-सफाई व अन्य कई कमियां पाई गई, जिसके आधार पर उक्त फर्मों को सुधार हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किये गए। फर्म मुकेश मावा पनीर भण्डार एवं मदनलाल शर्मा मावा निर्माता के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होने पर धारा 63 के तहत प्रकरण न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जायेगा। उक्त कार्यवाही देर रात से अल सुबह तक जारी रही।खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया गया कि निरीक्षण के दौरान 20 मावा एवं दूध के नमूने लिये गये। 2 निर्माण ईकाइयों पर मिलावटी मावा निर्माण में काम आने वाले दूध, स्कीम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति एवं इनसे बने लगभग 500 किलोग्राम मिलावटी दूध एवं मावे को मौके पर नष्ट करवाया गया। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी मिलावटी सामान की रोकथाम हेतु कार्यवाही जारी रहेगी। उक्त लिये गये नमूनों को जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भेजे गये है एवं प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित न्यायालयों में प्रकरण दर्ज करवाये जाएंगे। जिन फर्मों के पूर्व में भी नमूने जांच में फेल पाये गये है एवं न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 64 के अन्तर्गत भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कार्रवाई में गोविंदगढ़ वृताधिकारी राजेश जांगिड़, संयुक्त जांच दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित शर्मा, लोकेश शर्मा, देवेन्द्र सिंह राणावत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, नरेश कुमार चेजारा, वीरेन्द्र सिंह, विशाल मित्तल, नरेन्द्र शर्मा, पवन कुमार गुप्ता भी शामिल थे।

रिश्वत मामले में आरोपी चिकित्सक और सहयोगी की अर्जी खारिज

रिश्वत मामले में आरोपी चिकित्सक और सहयोगी को नहीं मिली जमानत

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने ब्रेन कॉइल का बिल पास करने की एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसएमएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. मनीष अठावाल और उसके सहयोगी जगत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया हैं इसके साथ ही अदालत दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने अपने आदेष में कहा कि मौजूदा समय में लोक सेवकों की ओर से कार्य करने में कमीशनखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, ताकि आमजन के कार्य सुगमता से हो सकें और लोक सेवकों में भ्रष्टाचार के अपराध को लेकर भय पैदा हो। आरोपी चिकित्सक पर लोक कार्य की एवज में एक लाख रुपए की राशि राशि प्राप्त कर सह आरोपी जगत सिंह से मिलीभगत कर ट्रेप टीम के आने पर खुद को बचाने के लिए राशि के लिफाफे को खुर्द-बुर्द करने का प्रथम दृष्टया अपराध करना सामने आया है। इसके अलावा फिलहाल मामले में अनुसंधान विचाराधीन है।

में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं किया जा सकता। जमानत अर्जी में कहा गया कि आरोपी चिकित्सक के पास परिवादी का कोई काम पेंडिंग नहीं था। बिल राशि भुगतान के लिए अस्पताल की एक कमेटी बना रखी है। उसने परिवादी से रकम के लिए कोई मांग नहीं की है।

एसीबी में शिकायत दर्ज कराने तक वह उससे मिला नहीं था, उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने कहा कि आरोपी को रिश्वत राशि के साथ पकडा गया है। इसके अलावा अभियोजन के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

जन सुरक्षा योजना व बीमा लक्ष्मी योजना का शुभारंभ

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ व एमडी आर.दुरैस्वामि ने दो नई योजनाएं, एलआईसी की जन सुरक्षा और एलआईसी की बीमा लक्ष्मी शुरू की। ये नई अगली पीढ़ ी जीएसटी व्यवस्था में एलआईसी द्वारा पेश किए गए पहले दो उत्पाद हैं। वर्तमान परिवेश में, जब ब्याज दरें अस्थिर हैं, ये दोनों योजनाएं पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड ॲडीशन्स प्रदान करती हैं। दोनों योजनाओं के तहत तीन वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ऑटो कवर सुविधा उपलब्ध है।

एलआईसी की जन सुरक्षा योजना एक सूक्ष्म बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य कम आय वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। एलआईसी की बीमा लक्ष्मी विशेष रूप से महिलाओं के लिए परिकल्पित की गई एक बीमा योजना है जो जीवन बीमा, बीमित व्यक्ति की पसंद के अनुसार हर 2 वर्ष अथवा 4 वर्ष बाद या प्रीमियम भुगतान बंद होने के बाद आवधिक निश्चित धन वापसी, सीमित व्यापारियों को कवर और आकर्षक गारंटीकृत परिपक्वता लाभ प्रदान करती है।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त साल 2020 से ही दुष्कर्म के अपराध में शामिल रहा है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पूर्व में भी पीडिता का अपहरण किया था। उस समय पीड़ित पक्ष ने नरम दिली और 24 साल के इस अभियुक्त के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई नहीं करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं एक अन्य नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला भी आरोपी के खिलाफ लंबित है। ऐसे में अभियुक्त के साथ किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीडिता की मां ने 14 जून, 2021 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसने पूर्व में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने को लेकर अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें अभियुक्त को जेल हो गई थी।

दोनों पांव से दिव्यांग बताकर नियुक्ति से किया वंचित, हाई कोर्ट ने पुनः मेडिकल के दिए आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों पांव से दिव्यांग बताकर आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर के पद पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में राज्य सरकार आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता का जोधपुर एम्स से पुनः मेडिकल कराए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के आयुर्वेद विभाग ने कंपाउंडर पद पर भर्ती के लिए साल 2024 में भर्ती विज्ञापन जारी किया था। भर्ती में एक पांव से दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए पद आरक्षित रखे गए थे। याचिकाकर्ता एक पांव से दिव्यांग है। इस पर याचिकाकर्ता को इस वर्ग में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया।

आदेश की पालना करो, वरना प्रमुख गृह सचिव हाजिर होकर दें जवाब : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत सिपाही की स्पेशल पेंशन को लेकर दिए अदालती आदेश की सात साल में भी पूर्णतः पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने 13 नवम्बर को प्रमुख गृह सचिव को पेश होकर अपना जवाब देने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी सुनवाई पर पालना रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो प्रमुख गृह सचिव को हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश सरिता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अदालती आदेश के खिलाफ पेश अपील को खंडपीठ ने निस्तारित कर दिया और मामले में रिव्यू पिटीशन भी तय हो चुकी, लेकिन विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई।

याचिका में अधिवक्ता सौगत राय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। एक मुकदमे में अनुसंधान के लिए जाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस प्रशासन के समक्ष नियमानुसार दी जाने वाली स्पेशल पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन याचिकाकर्ता को स्पेशल पेंशन जारी नहीं की गई। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सात 2015 में याचिका दायर की गई। जिसे एकलपीठ ने साल 2018 में स्वीकार करते हुए एक माह में परिलाभ जारी करने के आदेश दिए। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने दी जाने वाली राशि पर नौ फीसदी ब्याज अदा करने को कहा। याचिका में कहा गया कि इस आदेश की विभाग की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई। अपील के लंबित रहने के दौरान विभाग ने याचिकाकर्ता को परिलाभ दे दिए, लेकिन ब्याज अदा नहीं किया। वहीं खंडपीठ ने अपील का निस्तारण करते हुए विभाग को एकलपीठ के समक्ष रिव्यू याचिका लगाने को कहा। इस रिव्यू याचिका को भी एकलपीठ ने तय कर दिया, लेकिन विभाग ने ब्याज राशि जारी नहीं की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आगामी सुनवाई तक पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर प्रमुख गृह सचिव को हाजिर होने को कहा है।

दिव्यांग बच्चों ने प्रदर्शनी में भाग लिया

जयपुर। जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित हो रही नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी में दिव्यांग बच्चों के समेकित और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रयास वोकेशनल इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड के दिव्यांग बच्चों ने दौरा किया। यह प्रदर्शनी आम जनता और विशेष शिक्षा से जुड़े हितधारकों के लिए आयोजित की गई है। प्रयास संस्थान की निदेशक सत्या सेंगाथिर ने बताया कि संस्थान में संचालित इंटीग्रेटेड और स्पेशल स्कूलों के साथ-साथ आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त डी.ईडी एसपीएल ईडी आईडीडी और बी.ईडी एसपीएल.ईडी आईडी पाठ्यक्रम विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए चलाए जा रहे हैं।

एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष सहित तीन को जमानत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने से जुड़े मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश विनोद जाखड़, किशोर और महेश की ओर से पेश जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत अर्जी में अधिवक्ता भरत यादव ने कहा कि राष्ट्रीय खेल अधिवेशन के नाम पर आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम विवि में आयोजित किया गया।

जिसका शांतिपूर्वक विरोध किया गया था। इससे आक्रोशित होकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस के लोगों ने हमला किया। वहीं पुलिस ने दबाव में आकर प्रार्थियों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। मामले में एक तरफ तो उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर धाराओं में अपराध करना मानते हुए उन्हें उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार दिखा दिया। ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है। इसके अलावा गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई।

राजस्थान विधानसभा में 21 व 24 अक्टूबर का अवकाश घोषित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने पांच दिवसीय दीपावली के त्योहार पर विधानसभा कर्मियों की सुविधा के मददेनजर राजस्थान विधानसभा सचिवालय में 21 व 24 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया है। इस आशय के आदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा ने शुक्रवार को जारी किए।

इस आदेश के बाद विधानसभा कर्मियों में खुशी की लहर है। विधानसभा कर्मियों व उनके परिजनों ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार जताया है।

'मोरपाल सुमन जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर कर रहे हैं कार्य'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया बाइट के दौरान कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अंता विधानसभा उपचुनाव में मोरपाल सुमन को पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया गया है। मोरपाल सुमन जैसे जमीनी कार्यकर्ता के माध्यम से पार्टी अंता की जनता को एक मजबूत, सजग और सेवाभावी नेतृत्व प्रदान करना चाहती है। यह निर्णय पार्टी की संसदीय बोर्ड की सहमति से लिया गया है।

मोरपाल समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो प्रारंभ से ही पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। वे एक सामान्य परिवार से आते हैं और जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर निरंतर समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। उनकी निस्कलंक छवि, सेवाभाव और संगठनात्मक क्षमताओं के आधार पर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने अंता विधानसभा क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण, संगठनात्मक विचार-विमर्श और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से परामर्श के उपरांत यह निर्णय लिया है। विभिन्न सर्वेक्षणों में मोरपाल सुमन को क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय और स्वीकार्य चेहरा पाया गया। चयन में सामाजिक समरसता, अनुभव, और जनता से जुड़ाव को प्राथमिकता दी गई है। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार देशभर में सुशासन और विकास की नीति को बल मिल रहा है।

दीपावली पर्व पर विधान सभा अध्यक्ष ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। श्री देवनानी ने कहा है कि पंच दिवसीय दीपोत्सव साझे आनन्द का उत्सव है। इस त्यौहार को सभी लोग आपस में मिल-जुल कर मनाएं और समाज में आपसी सौहार्द, सद्भाव और खुशहाली का वातावरण बनायें।देवनानी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि शुभ दीपोत्सव पर भारत की मिट्टी से बने दीप जलाएं ताकि संस्कृति की सौंधी खुशबू आये। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जज्बे की तरह राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाकर किसान और मजदूर की मेहनत को बढ़ावा देते हुए दृढ़ भारत का मान बढ़ाये और राष्ट्र प्रेम की लौ से भारत को रोशन करें।

मेट्रो ट्रेन के समय एवं फेरो में बढ़ोतरी

जयपुर। जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वों, त्यौहारों एवं उत्सवों के दिनो में भी जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह निभाता रहा है। इसी कड़ी में आगामी दीपावली सीजन पर दिनांक 18.10.2025 से 21.10.2025 तक जयपुर मेट्रो ट्रेन के फेरों की संख्या वर्तमान संख्या से बढ़ाकर 208 कर दी गई हैं।दीपावली को लेकर परकोटे में 17.10.2025 से 21.10.2025 अक्टूबर तक मुख्य बाजारों में रोशनी की सजावट को देखने के लिए काफी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक एवं शहरवासियों के आगमन को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कुंजीलाल मीणा को पुरस्कार से नवाजा

जयपुर। जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य व सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने, शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण प्रभावी बनाने और जनजाति वर्ग के अधिकारों की अक्षरशः पालना, उनके कल्याण और उत्थान के मामले में राजस्थान देश में नम्बर 1 पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'आदि कर्मयोगी अभियान' के नेशनल कॉन्क्लेव में राज्य के जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुंजीलाल मीणा को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) में राजस्थान के देशभर में प्रथम रहने पर पुरस्कार प्रदान किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय जनजाति विकास मंत्री जुएल ओराम और राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी भी उपस्थित थे। धरती आभा अभियान का मकसद अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जनजातीय समुदायों तक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में एसीएस कुंजी लाल मीणा को धरती आबा अभियान में राजस्थान की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पुरस्कार दिया।

जागरूकता और पहुंच बढ़ाकर उनका सशक्तीकरण सुनिश्चत करना है। धरती आबा और पीएम-जनमन केन्द्र सरकार की बेहद उच्च प्राथमिकता वाले अभियान/योजनाओं में शामिल हैं, जिनकी प्रगति की मॉनिटरिंग करने तथा आवश्यकता वाले क्षेत्र में नवाचार के लिए बहुत उच्च स्तरीय सिस्टम कार्यरत है।

कार्यक्रम के बाद एसीएस श्री कुंजीलाल मीणा ने बताया कि इस अभियान में देश के 549 जिलों के 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांव कवर किए गए हैं।

राष्ट्रव्यापी जागरूकता और लाभ संतृप्ति अभियान के रूप में संचालित इस अभियान में 207 जिलों की 29,000 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियां शामिल हैं।

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
सोफिया स्कूल के सामने घाटगेट जयपुर पिन कोड 302003
क्रमांक-F-52/DC/KPZ/2025/1312 दिनांक-16/10/2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र स्व श्री रामस्वरूप गुप्ता ने मकान संख्या 1615 खेजड़ों का रास्ता इन्दिरा बाजार जयपुर का 69-क, के तहत आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत उपहार पत्र व स्वामित्व संबंधित दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का स्वयं का क्षेत्रफल 184.57 वर्गगज का 69-क के तहत पट्टा चाहा है। उक्त भूखण्ड के संबंध मे किसी व्यक्ति सरकारी / गैर सरकारी संस्था, मालिको या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
उपायुक्त, किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर (हेरिटेज)

कार्यालय उपायुक्त, (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांकः एफ.55 (।)वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2025/3028
सार्वजनिक सूचना दिनांकः 17/10/25
भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा योजना श्रीरामनगर विस्तार की भूखण्ड सं. 56 क्षेत्रफल 233.3 वर्गगज का श्री शम्भू अग्रवाल पुत्र श्री गौरी शंकर अग्रवाल के पक्ष मे आवंटन पत्र जारी किया गया था। सहकारी समिति द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण श्री रामस्वरूप यादव पुत्र श्री कन्हैराम यादव के पक्ष मे कर दिया गया। श्री रामस्वरूप यादव पुत्र श्री कन्हैराम यादव ने जरिये पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 14/06/2021 को उक्त भूखण्ड श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री हरिकिशन एवं श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री राकेश कुमार को उपहार कर दिया गया। श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री हरिकिशन एवं श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री राकेश कुमार ने जरिये पजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08/01/2025 को उक्त भूखण्ड श्री जयराम कुमावत पुत्र श्री चौखा राम कुमावत को विक्रय कर दिया गया। श्री जयराम कुमावत पुत्र श्री चौखा राम कुमावत ने भूखण्ड सं. 56, श्रीरामनगर विस्तार, झोटवाड़ा, जयपुर (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति) क्षेत्रफल 233.3 वर्गगज का पट्टा विलेख चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के पट्टा विलेख बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे प्रस्तुत करे। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पट्टा विलेख की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त विद्याधर नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

NAME CHANGE
I army no 2890548X Ex Hav Gulab singh Shekhawat S/O hanuman singh Shekhawat resident of Vpo rajnota tehsil paota district jaipur that i want change my dependent name from NAVEEN SINGH to NAVEEN SHEKHAWAT (DOB 5/7/2006) vide affidavit dated 16/10/25 before district notary Kotputli Jaipur

नाम परिवर्तन
I have changed my name from Amreen to Amreen Khan in future 18 R.A.C. Road Amratpuri Ghat Gate Jaipur

I have changed my name Faizan Iftikar Sayd to Syed Faizan Iftikhar S/o Syed Iftikhar Ali in future Recognize me by this name Address- 31-A, Vivekanand Marg, Behind Khetdi House Nahri Ka Naka, Jaipur-302016

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/841
चूंकि प्रार्थी श्री कोशलेश माहेश्वरी,603, रूबी टावर, लैंडमार्क सिविल लाईन जयपुर 302001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास कविताचल (इंडिया) 601, डायमण्ड टॉवर 6thफ्लोर सोमदत्त लैंडमार्क हवा सडक सिविल लाइन जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/832
चूंकि प्रार्थी श्री VINOD KUMAR, 109, TELIPADA, BODH SHALA SCHOOT. SE AAGE, PARVATIY COLONYSHASTRI NAGAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास 109, PARVATIY COLONY, TELIPADA-B BODH SHALA SCHOOL SE AAGE, SHASTRI NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 23.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

सार्वजनिक सूचना कार्यालय नगर पालिका जोबनेर जिला जयपुर
क्रमांकः- न.पा.जो. / 2025-26/2223 दिनांक 17.10.25
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका मण्डल जोबनेर में नगर पालिका माडल राजस्थान भवन विनियम 2025 के तहत निम्न लिखित पत्रावलियां विचाराधीन है। अगर इन सम्पतीयों का निस्तारण करने में किसी को कोई आपति हो तो 3 दिवस के अन्दर मियाद अपनी आपति सबूतों सहित पालिका में दर्ज करवा सकते है। अवधि पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रकार की आपति स्वीकार नही होगी व नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की
निमार्ण इजाजत

क्र. सं.	आवेदक का नाम मय पिता/ पति	वार्ड/कालोनी गली का नाम	आसे पासे का विवरण पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	आवसीय/ व्य सायिक	क्षेत्र, वर्ग गज
क्र. सं.	श्री लालचन्द कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल	कालवाड रोड ढाणी नागान जोबनेर	श्री मदन लाल पाटनी का प्लाट	श्री भागचन्द सिन्धी की भूमि	श्री नानूराम खोरनिया की भूमि	जयपुर रोड	मिश्रित	702.25

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका जोबेनर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल पोकरण, जिला जैसलमेर (राज.)
क्रमांक /न.पा.पो./भूमि/2025/3707 दिनांकः- 17.10.2025
-: लोकसूचना :-
इस कार्यालय में शहरी सेवा शिविर 2025 अन्तर्गत निम्न आवेदकों ने कृषि भूमि रुपान्तरण / नियमन एवं भु उपयोग परिवर्तन के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित भूमि का गैर - कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु (आवासीय / वाणिज्यिक)ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

| क्र. सं. | आवेदक का नाम मय पिता / पति नाम | जिले सहित तहसील का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल | चाहे गये रुपान्तरण का प्रकार |
|